ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग, उत्तराखण्ड़, पौड़ी।

COVID-19 के प्रकोप के दौरान राज्य में लौटे प्रवासी–आंकड़े, विश्लेषण एवं उनके पुनर्वास हेतु सिफारिशें।

जुलाई 2020

प्रस्तावना

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की समस्या आर्थिक असमानताओं के साथ–साथ कई चुनौतियां भी प्रकट कर रही हैं, जिसमें कृषि में गिरावट, गिरती ग्रामीण आय और एक तनाव ग्रस्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रमुख है। अतः उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की जानकारी एवं गंभीरता का आंकलन करने हेतु आयोग स्थापित करने का फैसला किया और उत्तराखण्ड में पलायन की समस्या के समाधान, रोकथाम एवं ग्रामीण अंचलों में बेहतर आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तराखण्ड सरकार ने ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के गठन को सुनिश्चित किया। इस आयोग के कार्यों में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित विकास के लिए एक दृष्टिकोण विकसित कर पलायन की गंभीरता को कम करना एवं ग्रामीण जनसंख्या के कल्याण और समृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करना, जमीनी स्तर पर बहु–क्षेत्रीय विकास के लिए सरकार को सलाह प्रदान करना जो जिला और राज्य स्तर पर संयुक्त रूप से हो, राज्य की आबादी के उन वर्गों के लिए जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं है, हेतु लघु/मध्यम/दीर्घ अवधि की कार्ययोजनाओं की सिफारिशें प्रस्तुत करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रित पहल की सिफारिशें और निगरानी करना जो ग्रामीण क्षेत्रों के चौमुखी विकास में सहायक होकर पलायन को रोकने में सक्षम हो, प्रमुख है।

इस रिपोर्ट में 215875 प्रवासियों का सर्वेक्षण किया गया है। 59360 प्रवासियों का आंकलन प्रथम रिपोर्ट में किया गया है। आयोग द्वारा अब तक 275235 प्रवासियों के बारे में विश्लेषण किया जा चुका है। मार्च 2020 से पूरे विश्व में COVID-19 के कारण फैली महामारी से विभिन्न राज्यों में इस राज्य से बाहर गए निवासियों का लौटना शुरू हुआ। उत्तराखण्ड में भी Reverse Migration की प्रक्रिया देखी गयी। इस दौरान राज्य से बाहर गए प्रवासी भी हजारों की संख्या में अपने मूल निवास लौटे। आयोग द्वारा जून 2020 के तीसरे सप्ताह तक लौटे Reverse Migrants के आंकड़े विभिन्न जनपदों से एकत्र किए तथा इनका विश्लेषण किया गया। कई Reverse Migrants से दूरभाष, E-mail, Whatsapp द्वारा feedback लिए गए। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से भी बैठकें की गयी तथा जिलास्तर के अधिकारियों, NGOs आदि से चर्चा करने के पश्चात् उत्तराखण्ड सरकार को आयोग यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है। इसमें इन Reverse Migrants के आर्थिक पुनर्वास हेतु सुझाव दिए गए हैं ताकि प्रदेश में लौटे प्रवासी अधिक से अधिक संख्या में प्रदेश में ही रहकर अपना जीवनयापन कर सकें।

आयोग अपने अध्यक्ष एवं मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन हेतु एवं इस रिपोर्ट को तैयार करने के अथक प्रयासों के लिए श्री उत्पल कुमार सिंह, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, श्रीमती मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, श्री आर0 मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव, कृषि, उद्यान, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य, उत्तराखण्ड शासन, विभिन्न विभागों के राज्य एवं जिलास्तरीय अधिकारियों, श्री रोशन लाल, सदस्य सचिव, ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग, श्री ए.के.राजपूत, उपायुक्त, ग्राम्य विकास, श्री गजपाल चंदानी, शोध अधिकारी, ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग तथा श्री भूपाल सिंह रावत के सुझाव एवं प्रयासों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है।

जुलाई, 2020

डॉ0 शरद सिंह नेगी
उपाध्यक्ष

अन्तर्वस्तु

अध्याय I :	परिचय	1
अध्याय II :	आंकडे एवं विशलेषण	7
अध्याय III :	उपलब्ध योजनाएँ एवं कार्यक्रम	19
अध्याय IV :	सिफारिशें	31

अध्याय–1

परिचय

पलायन किसी व्यक्ति के निवास स्थान पर स्थायी या अर्ध–स्थायी परिवर्तन का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, हालांकि बहुत कम अवधि के परिवर्तन या उसी इलाके में निवास परिवर्तन को पलायन नहीं माना जाता है। अधिकांश विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन हो रहा है और अक्सर इन देशों के लोग बेहतर जीवन की तलाश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में भी पलायन करते हैं। उत्तराखंड राज्य पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में स्थित है और उसकी अधिकांश आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती हैं। राज्य का भूगोल काफी हद तक पहाड़ी है। चिंता का एक प्रमुख कारण ग्रामीण से अर्द्ध शहरी या शहरी क्षेत्रों से अर्द्ध स्थायी या स्थायी आधार पर लोगों का पलायन है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप गांवों की जनसँख्या में गिरावट आई है जो कई गांवों में दो अंकों में पहुंच गयी है और इसने प्राथमिक क्षेत्र (कृषि) को भी घटाया है। दूसरी तरफ, शहरी क्षेत्रों में लोगों का प्रवास, राज्य के भीतर और बाहर दोनों संसाधनों पर तनाव पैदा कर रहे हैं। पहले से ही शहरीकरण की समस्या से जूझ रहे कस्बों और शहरों में पानी की कमी, भीड़भाड़, स्वच्छता और शहरी प्रदूषण से समस्या और भी गंभीर हो रही है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की समस्या आर्थिक असमानताओं के साथ–साथ कई अन्य चुनौतियां भी प्रकट कर रही है, जिसमें कृषि में गिरावट, गिरती ग्रामीण आय और एक तनाव ग्रस्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रमुख है। अतः उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की जानकारी एवं गंभीरता का आंकलन करने हेतु आयोग स्थापित करने का फैसला किया और उत्तराखंड में पलायन की समस्या के समाधान, रोकथाम एवं ग्रामीण अंचलो में बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तराखंड सरकार ने ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के गठन को सुनिश्चित किया। इस आयोग के कार्यों में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित विकास के लिए एक दृष्टीकोण विकसित कर पलायन की गंभीरता को कम करना एवं ग्रामीण जनसंख्या के कल्याण और समृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करना, जमीनी स्तर पर बहु–क्षेत्रीय विकास के लिए सरकार को सलाह प्रदान करना जो जिला और राज्य स्तर पर सयुंक्त रूप से हो, राज्य की आबादी के उन वर्गों के लिए जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं है हेतु लघु/मध्यम/दीर्घ अवधि की कार्य योजनाओं की सिफारिशें प्रस्तुत करना तथा विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रित पहल की सिफारिशें और निगरानी करना जो ग्रामीण क्षेत्रों के चौमुखी विकास में सहायक होकर पलायन को रोकने में सक्षम हो प्रमुख है।

एनएसएसओ (२०१०) के अनुसार भारत में आंतरिक प्रवासियों का पलायन लगभग ३०६ करोड़ है; जो २००१ में देश की कुल जनसँख्या का लगभग ३०% है। १९५१ में भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत कुल जनसंख्या का केवल १७% था; जो की २०२५ तक कुल जनसंख्या का लगभग ४२.५% तक पहुंचने की उम्मीद है। यह सब इसलिए होगा क्योंकि बड़ी संख्या में लोग बेहतर अवसरों की तलाश में शहरी क्षेत्रों के लिए ग्रामीण इलाकों को छोड़ देंगे। पिछले ५०वर्षों में, ग्रामीण आबादी में ८२.० से ६८.९% की कमी आई है।

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ११वीं और १२वीं शताब्दी के दौरान भारत के अन्य हिस्सों से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। ये शायद मैदानी इलाकों में आक्रमणकारियों द्वारा अभियोजन पक्ष के निपटारे और तीर्थयात्रा पर आए तीर्थयात्रियों के स्थायीकरण के कारण था। अगली कई शताब्दियों में कठिन श्रम के माध्यम से वनों को खेती के लिए परिवर्तित किया गया। ११वीं शताब्दी से पहले इन इलाको में शायद बड़े पैमाने पर खानाबदोश चरागाह समुदायों द्वारा निवास किया गया था; हालांकि खेती की शुरूआत भी शुरू हुई थी,

जिसका विस्तार ११वीं और १२वी सदी में बड़े पैमाने पर हुए पलायन के बाद हुआ। १६वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के मजबूत होने और गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट को बढ़ाने और पुलिस सहित अन्य सरकारी सेवाओं में अवसरों के साथ, स्थानीय युवाओं को नियमित रोजगार मिलना शुरू हो गया और पलायन हुआ, हालांकि उनमें से अधिकांश सेवानिवृत्ति के बाद लौटे और कईयों ने अपने परिवारों को खेती के लिए गांवों में भी रखा। वाल्टन (१६१०) भी इस बारे में उल्लेख करते है की आजीविका की खोज में पहाड़ो से मैदानी इलाकों में मौसमी पलायन भी हुए है।

उत्तराखंड में जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन

दशकीय परिवर्तन जनसंख्या में १६०१ (उत्तराखंड)

नीचे दी गई तालिका १६०१ से उत्तराखंड की आबादी में दशकीय परिवर्तन दिखता है। राज्य की आबादी में १६११ और १६२१ के बीच मुख्य रूप से चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में कमी हुई है।

State/Union Territory /District	Census/ Year	Persons	Variation since the preceding census		Males	Females
			Absolute	Percent age		
Uttarakhand	1901	1,979,866	----	----	1,032,166	947,700
	1911	2,142,258	+162,392	+8.20	1,123,165	1,019,093
	1921	2,115,984	-26,274	-1.23	1,104,586	1,011,398
	1931	2,301,019	+185,035	+8.74	1,202,594	1,098,425
	1941	2,614,540	+313,521	+13.63	1,371,233	1,243,307
	1951	2,945,929	+331,389	+12.67	1,518,844	1,427,085
	1961	3,610,938	+665,009	+22.57	1,854,269	1,756,669
	1971	4,492,724	+881,786	+24.42	2,315,453	2,177,271
	1981	5,725,972	+1,233,248	+27.45	2,957,847	2,768,125
	1991	7,050,634	+1,324,662	+23.13	3,640,895	3,409,739
	2001	8,489,349	+1,438,715	+20.41	4,325,924	4,163,425
	2011	10,086,292	+1,596,943	+18.81	5,137,773	4,948,519

स्रोतः उत्तराखंड, जनगणना २०११

जनसंख्या का जिलावार दशकीय परिवर्तन

निम्नलिखित तालिका जनसंख्या में जिलावार दशकीय परिवर्तन दिखाता है (जनगणना का आधार; १९८१, १९९१, २००१ और २०११) २००१ और २०११ के बीच अल्मोड़ा और पौड़ी जिलों की आबादी में कमी आई है।

Districts	1981 % Increase	1991 % Increase	2001 % Increase	2011 % Increase/Decrease
Almora	15.81	8.94	3.67	-1.73
Bageshwar	19.57	14.81	9.28	5.13
Chamoli	24.15	22.63	13.87	5.6
Champawat	25.34	26.38	17.6	15.49
Dehradun	31.93	34.66	25.00	32.48
Haridwar	32.72	26.31	28.70	33.16
Nainital	38.08	30.22	32.72	25.20
Pauri	15.46	8.57	3.91	-1.51
Pithoragarh	16.38	14.11	10.95	5.13
Tehri	24.67	16.53	16.24	1.93
Udhamsingh Nagar	48.05	38.30	33.60	33.40
Uttarkashi	29.19	25.54	23.07	11.75
State	27.45	23.13	20.41	19.17

स्रोतः भारतीय जनगणना निर्दिष्ट

राष्ट्रीय स्तर पर तुलना

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने जुलाई २००७ और जून २००८ के बीच रोजगार, बेरोजगारी और प्रवासन विवरणों पर ६४वें दौर के सर्वेक्षण का आयोजन किया, जिसमें रिपोर्ट जून २०१० में प्रकाशित की गई थी। एनएसएसओ २०१० द्वारा देश के लिए मुख्य निष्कर्ष हैं:

क. पिछले ३६५ दिनों के दौरान घरेलू पलायन

1. ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरित परिवारों का अनुपात बहुत कम था, लगभग ०१ प्रतिशत। दूसरी ओर, शहरी इलाकों में प्रवासित परिवारों ने शहरी परिवारों का लगभग ०३ प्रतिशत गठित किया।

2. कई परिवारों का प्रवास बड़े पैमाने पर राज्य के भीतर ही सीमित था। ग्रामीण इलाकों में प्रवासी परिवारों का ७८ प्रतिशत और शहरी इलाकों में प्रवासित परिवारों का ७२ प्रतिशत के निवास की आखिरी सामान्य जगह राज्य के भीतर थी।

3. ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में परिवारों के प्रवासन पर ग्रामीण इलाकों के परिवारों से पलायन का प्रभुत्व था। ग्रामीण इलाकों से लगभग ५७ प्रतिशत परिवार शहरी प्रवासित हो गए जबकि २६ प्रतिशत ग्रामीण प्रवासित परिवार शहरी इलाकों से चले गए।

4. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, अधिकांश घर रोजगार से संबंधित कारणों से प्रवासित हुए। ग्रामीण इलाकों में लगभग ५५ प्रतिशत परिवार और शहरी इलाकों में ६६ प्रतिशत परिवार रोजगार संबंधी कारणों से पलायन कर चुके थे।

ख. प्रवासी

1. भारत में लगभग २६ प्रतिशत लोग ग्रामीण–शहरी प्रवासी थे।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासन दर अनुसूचित जनजाति (एसटी) में सबसे कम थी, लगभग २४ प्रतिशत, और यह सामाजिक समूह 'अन्य' में वर्गीकृत लोगों में सबसे ज्यादा थी, जो लगभग २८ प्रतिशत थी।

3. ग्रामीण पुरुष में 'निरक्षर' के बीच प्रवास दर सबसे कम (लगभग ०४ प्रतिशत) थी; और यह शैक्षणिक स्तर 'स्नातक और ऊपर' वाले लोगों में लगभग १४ प्रतिशत थी। शहरी पुरुषों में भी, यह 'निरक्षर' के बीच सबसे कम था (१७ प्रतिशत), और शैक्षणिक स्तर 'स्नातक या ऊपर' वाले लोगों के लिए ३८ प्रतिशत था।

4. शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों में लगभग ५६ प्रतिशत ग्रामीण इलाकों से और शहरी इलाकों से ४० प्रतिशत प्रवासित हुए।

5. शहरी पुरुष प्रवासियों का लगभग ६० प्रतिशत और शहरी महिला प्रवासियों का ५६ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानांतरित हो गया था।

6. ग्रामीण प्रवासियों के लिए पलायन का कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में रोजगार संबंधी कारणों का प्रभुत्व था। रोजगार संबंधी कारणों से ग्रामीण पुरुष प्रवासी लगभग २६ प्रतिशत और शहरी पुरुष प्रवासी ५६ प्रतिशत प्रवासित हो गए थे।

7. कुल प्रवासियों में आत्म–रोजगार का हिस्सा बढ़ गया; प्रवासन से पहले १६ प्रतिशत और प्रवासन के बाद २७ प्रतिशत तक। जबकि नियमित कर्मचारियों और आकस्मिक श्रमिकों के योगदान से प्रवासन के पहले और बाद में लगभग स्थिर रहा।

8. शहरी पुरुषों में नियमित मजदूरी/वेतनभोगी कर्मचारियों के प्रतिशत में अकस्मात वृद्धि दिखी है (१८ प्रतिशत प्रवासन से पहले और प्रवासन के बाद ३६ प्रतिशत)। प्रवासन के बाद (१७ प्रतिशत से २२ प्रतिशत) स्व–रोजगार के हिस्से में वृद्धि के अलावा, आकस्मिक श्रम का रोजगार के साधनों के रूप में महत्व कम हुआ है (११ प्रतिशत से ०८ प्रतिशत तक)।

9. वापसी प्रवास की दर (आबादी में वापसी प्रवासियों का अनुपात) ग्रामीण इलाकों में पुरुषों का महिलाओं की तुलना में काफी अधिक था; पुरुषों का २४ प्रतिशत और महिलाओं का ११ प्रतिशत।

ग. बाहर प्रवासन

1. पुरुषों के लिए बाहर प्रवासन दर (आबादी में बाहर प्रवासन का अनुपात) ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग ०६ प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों से ०५ प्रतिशत था। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की दरें बहुत अधिक थीं। यह ग्रामीण महिलाओं में १७ प्रतिशत और शहरी महिलाओं में ११ प्रतिशत थी।

2. ग्रामीण पुरुष दोनों राज्यों जिससे वे बाहर निकल गए और साथ ही साथ राज्य के बाहर चले गए (इन दो प्रकार के स्थानों में से प्रत्येक में लगभग ४६ प्रतिशत)।

3. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में से अधिकांश पुरुष रोजगार से संबंधित कारणों से बाहर निकल गए थे। जो की ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर प्रवासन के लिए लगभग ८० प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में ७१ प्रतिशत जिम्मेदार है।

4. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला प्रवासियों के लिए, विवाह मुख्य रूप से पलायन का कारण था, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगभग ८४ प्रतिशत महिला प्रवासियों के लिए जिम्मेदार था।

5. भारत में रहने वाले ८० प्रतिशत लोगों की तुलना में विदेशों में रहने वाले ग्रामीण पुरुष प्रवासी लगभग ६५ प्रतिशत आर्थिक गतिविधियों में लगे थे और भारत में रहने वाले शहरी क्षेत्रों से ७३ प्रतिशत लोगों की तुलना में विदेश में रहने वाले प्रवासी लोग लगभग ६३ प्रतिशत आर्थिक गतिविधियों में लगे थे।

घ. बाहर प्रवासी प्रेषण

1. ग्रामीण इलाकों से विदेशों में रहने वाले पुरुष प्रवासियों में से लगभग ८२ प्रतिशत ने पिछले ३६५ दिनों के दौरान प्रेषण भेजा था, जबकि भारत में रहने वाले पुरुष प्रवासियों में से केवल ५८ प्रतिशत ने प्रेषण भेजा था।

2. शहरी क्षेत्रों से विदेशों में रहने वाले पुरुष प्रवासियों में से, लगभग ६६ प्रतिशत ने प्रेषण भेजा था जबकि भारत में रहने वाले पुरुष प्रवासियों में से केवल ४१ प्रतिशत ने प्रेषण भेजा था।

3. औसतन, पिछले ३६५ दिनों के दौरान, ग्रामीण इलाकों से विदेश में रहने वाले एक पुरुष प्रवासी ने भारत में रहने वाले एक पुरुष प्रवासी द्वारा भेजे गए प्रेषण की राशि का ०४ गुना भेजा था; औसतन लगभग रु ५२०००/– विदेशों में रहने वाले पुरुष प्रवासी द्वारा प्रेषित किया गया था, जबकि भारत में रहने वाले पुरुष प्रवासी के लिए राशि लगभग रु १३००० थी।

4. शहरी क्षेत्रों से बाहर प्रवासियों ने पिछले ३६५ दिनों के दौरान ग्रामीण इलाकों की तुलना में अपने पूर्व परिवारों को उच्च राशि प्रेषित की थी। औसतन शहरी क्षेत्रों से विदेशों में रहने वाले एक पुरुष प्रवासी ने लगभग रु ७३,००० पिछले ३६५ दिनों के दौरान प्रेषित की थी; जो की उच्चतर राशी प्रेषित की गयी थी; ग्रामीण इलाकों से बाहर निकलने वाले और विदेश में रहने वाले पुरुष प्रवासियों द्वारा।

5. लगभग ३० प्रतिशत ग्रामीण परिवारों ने और १६ प्रतिशत शहरी परिवारों ने अपने पूर्व सदस्यों के प्रवासन की सूचना दी थी।

6. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ता व्यय में प्रेषण का मुख्य उपयोग था। ग्रामीण इलाकों में लगभग ६५ प्रतिशत परिवार और शहरी इलाकों में ६३ प्रतिशत परिवारों ने घरेलू उपभोक्ता व्यय के उद्देश्य के लिए प्रेषण का उपयोग किया था।

7. ग्रामीण इलाकों में लगभग १० प्रतिशत परिवारों ने 'ऋण चुकौती' के लिए प्रेषण का उपयोग किया था और शहरी क्षेत्रों में लगभग १३ प्रतिशत परिवारों ने 'बचत/निवेश' के लिए प्रेषण का उपयोग किया था।

COVID-19 के कारण Reverse Migration

उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य के पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन को एक बड़ी चुनौती के रूप में लिया है तथा कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। हाल ही में COVID-19 के प्रकोप के बाद उत्तराखण्ड के हजारों मूल निवासी जनपदों में अपने घर लौटे हैं। राज्य सरकार उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए विशेष कदम उठा रही है। यह उनके आर्थिक पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा तथा प्रकोप के पश्चात इनके पलायन को रोकने में भी सहायक होगा। इस रिपोर्ट में COVID-19 के प्रकोप से अपने मूल निवास लौटे प्रवासियों के आंकड़े एकत्र किये गये हैं तथा इनका विश्लेषण कर सिफारिशें प्रस्तुत की गयी हैं।

प्रक्रिया एवं पद्धति

आयोग की टीम द्वारा सभी जनपदों के जिला विकास अधिकारियों से आंकड़े प्राप्त किये गये हैं। इनका विश्लेषण कर प्रस्तुत किया गया हैं। आयोग द्वारा कई Reverse Migrants से जनपद स्तर के अधिकारी, NGO's तथा अन्य विशेषज्ञों से दूरभाष, E-mail, Whatsapp द्वारा feedback एवं सुझाव लिए गए जिसके आधार पर सिफारिशें प्रस्तुत की जा रही हैं। राज्य के मुख्य विभागों से भी बैठकें कर के चर्चा के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार करने का प्रयास किया गया है।

अध्याय–2

आंकड़े एवं विश्लेषण

वर्ष 2020 के माह फरवरी एवं मार्च में जैसे ही देश के विभिन्न भागों में COVID-19 का प्रकोप बढ़ा राज्य के प्रवासी अपने गांवों लौटना शुरू हो गए थे। प्रथम दौर में लगभग 59360 प्रवासी व्यक्ति राज्य में वापस लौटे जिनका जनपदवार विवरण तालिका–1 में दिया गया है।

आयोग ने अप्रैल माह के अंत में इन आंकड़ों के आधार पर तथा लौटकर आये कुछ व्यक्तियों से दूरभाष पर चर्चा करके एक अंतरिम रिपोर्ट उत्तराखण्ड सरकार को प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर उस समय का परिदृश्य एवं उसका विश्लेषण निम्नलिखित बिन्दुओं में दिया जा रहा है :–

उभरता परिदृष्य एवं उसका विष्लेषण

1. COVID-19 के प्रकोप के पश्चात उत्तराखण्ड के हजारों मूल निवासी पर्वतीय जनपदों में अपने घर लौटे हैं। ये लोग भारत के विभिन्न भागों से तथा विदेशों से भी उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में लौटे हैं। प्रकोप से पूर्व में ये Reverse Migrants होटलों, रेस्टोरेंटों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यकर रहे थे। प्रकोप के बाद होटल, रेस्टोरेंट तथा प्रतिष्ठान बंद होने के बाद ये लोग अपने परिवार के पास गांवों में लौटे हैं। इनमें कई छात्र, छोटे व्यापारी एवं पेशेवर (Professionals) लोग भी हैं।

   निम्नलिखित तालिका में विभिन्न जनपदों में Reverse Migrants (मार्च 2020 के अन्त तक) की संख्या दर्शायी गयी हैः–

तालिका – 1

Sl. No.	Name of district	Number of Returnees / Reverse Migrants
1	Almora	9303
2	Bageshwar	1541
3	Chamoli	3214
4	Champawat	5707
5	Nainital	4771
6	Pauri	12039
7	Pithoragarh	5035
8	Rudraparyag	4247
9	Tehri	8782
10	Uttarkashi	4721
	Total	**59360**

2. उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि COVID-19 के प्रकोप के पश्चात सबसे अधिक Reverse Migration पौड़ी जनपद में हुआ है, जो कि इस बात की भी पुष्टि करता है कि इस जनपद से सबसे अधिक पलायन हुआ है। इसके पश्चात् जनपद अल्मोड़ा का स्थान है क्योंकि इस जनपद से भी अधिक पलायन हुआ है। अन्य पर्वतीय जनपदों में भी हजारों Reverse Migrants लौट आये हैं।

3. Reverse Migration करके आये लोगों की आय या तो शून्य हो गयी है या काफी कम हो गयी है। इससे इनके परिवारों की remittance income भी घट गयी है। अतः राज्य के पर्वतीय जनपदों की ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर परिवारों की Household income कम हो जाएगी। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि पर्वतीय जनपदों की District GDP भी कम हो जायेगी।

4. यह कह पाना मुश्किल है कि स्थिति कब सामान्य होगी तथा सामान्य होने के बाद यह लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहेंगे या पुनः पलायन करेंगे। लेकिन यह स्पष्ट है कि इनमें से अधिकतर लोग न तो कृषि/बागवानी करेंगे क्योंकि प्रति परिवार भूमि कम है, न ही मनरेगा में कार्य करना चाहेंगे।

5. विभिन्न जनपदों से प्राप्त सूचना तथा कुछ Reverse Migrants से दूरभाष पर हुई चर्चा से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट है कि अधिकतर लोग–

   (क) उत्तराखण्ड के विभिन्न शहरों जैसे कि देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार, रूद्रपुर, रामनगर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पौड़ी से आए हैं। (लगभग 25% से 30%)

   (ख) भारत के विभिन्न राज्यों जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र इत्यादि से लौटे हैं। (लगभग 60% से 65%)

   (ग) विदेशों से जैसे दुबई, ओमान, आयरलैंड, चीन, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया इत्यादि से भी लौटे हैं (लगभग 3% से 5%)।

6. अधिकतर लोग अकेले लौटे हैं, लेकिन कुछ परिवार सहित भी लौटे हैं।

7. अधिकतर Reverse Migrants 30 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के हैं।

8. Reverse Migrants की मुख्य पृष्ठभूमि निम्नानुसार हैः–

   (क) आतिथ्य क्षेत्र (Hospitality Sector) या अन्य सेवा क्षेत्र जैसे– चालक

   (ख) स्वरोजगार जैसे कि छोटे व्यवसाय

   (ग) छात्र

   (घ) पेशेवर (Professionals) जैसे कि Chef/IT इत्यादि

9. उक्त बिन्दु 8(क) एवं 8(ख) के अधिकतर Reverse Migrants इस दुविधा में हैं कि वह पुनः पलायन करें या राज्य के पर्वतीय जनपदों में ही रहें। इनमें से लगभग 30 प्रतिशत लोग ही राज्य में रहने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं।

10. बिन्दु 8(ग) एवं 8(घ) के अधिकतर लोग पुनः वापस जाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन उनको यह स्पष्ट नहीं है कि स्थिति कब सुधरेगी।

11. जब इनसे पूछा गया कि इनके लिए गांवों में ही रहने के लिए क्या बाधाऐं हैं तो मुख्य कारण आजीविका की कमी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं का अभाव बताया गया। कई Reverse Migrants ये भी कह रहे हैं कि उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है।

12. COVID-19 लॉक डाउन खुलने के बाद विभिन्न स्थानों पर रह रहे उत्तराखण्ड के और भी मूल निवासियों की वापसी की संभावनाऐं भी हैं।

जून 2020 तक राज्य में Reverse Migrants के आंकड़े तथा विश्लेषण

इस रिपोर्ट में 215875 प्रवासियों का सर्वेक्षण किया गया है। 59360 प्रवासियों का आंकलन प्रथम रिपोर्ट में किया गया है। आयोग द्वारा अब तक 275235 प्रवासियों के बारे में विश्लेषण किया जा चुका है। जून 2020 तक प्रदेश में अपने मूल निवास लौटे Reverse Migrants के आंकड़े तथा उनका विशलेषण निम्नलिखित हैः–

1. उत्तराखण्ड के जनपदों में (21 जून 2020 तक) अपने मूल निवास वापस आए प्रवासियों की संख्या 215875 है। इनमें सबसे अधिक जनपद पौड़ी में 60440 तथा उसके पश्चात् जनपद अल्मोड़ा में 43784 है। आंकड़े दर्शाते हैं कि इन्हीं जनपदों से सबसे अधिक पलायन हुआ है। जनपदवार एवं विकासखण्डवार विवरण तालिका–2 एवं 3 में दिया गया है।

तालिका 2

उत्तराखण्ड़ के जनपदों में वापस आये प्रवासियों की जनपदवार संख्या

क्र0स0	जनपद का नाम	जनपद में आये प्रवासियों की संख्या
1	अल्मोड़ा	43784
2	नैनीताल	9650
3	पिथौरागढ़	5451
4	चम्पावत	15097
5	बागेश्वर	1925
6	उद्यमसिंहनगर	21958
7	पौड़ी	60440
8	चमोली	5877
9	देहरादून	2254
10	हरिद्वार	3136
11	उत्तरकाशी	19405
12	टिहरी	19242
13	रूद्रप्रयाग	7656
योग		**215875**

तालिका 3

उत्तराखण्ड़ के जनपदों में विकासखण्डवार वापस आये प्रवासियों की संख्या

क्र.सं	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	प्रवासियों की संख्या
1	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	3718
2		जखोली	3429
3		ऊखीमठ	509
योग		**रूद्रप्रयाग**	**7656**
1	टिहरी	भिलगंना	675
2		थौलधार	2258
3		प्रतापनगर	5749
4		जौनपुर	790
5		देवप्रयाग	2232
6		कीर्तिनगर	3410
7		फकोट	857
8		जाखणीधार	1050
9		चम्बा	1519
10		नगरीय क्षेत्र	702
योग		**टिहरी**	**19242**
1	उत्तरकाशी	पुरोला	796
2		चिन्यालीसौड	5585
3		डुण्ड़ा	5174
4		नौगांव	1420
5		मोरी	446
6		भटवाड़ी	5552
7		अन्य	432
योग		**उत्तरकाशी**	**19405**
1	हरिद्वार	बहादराबाद	974
2		नारसन	559
3		लक्सर	244
4		भगवानपुर	619
5		खानपुर	467
6		रूड़की	273

योग		हरिद्वार	3136
1	देहरादून	चकराता	162
2		कालसी	50
3		विकासनगर	412
4		डोईवाला	1130
5		रायपुर	415
6		सहसपुर	85
योग		देहरादून	2254
1	चमोली	नारायणबगड़	446
2		जोशीमठ	101
3		दशोली	551
4		कर्णप्रयाग	749
5		घाट	556
6		पोखरी	807
7		गैंरसैंण	2514
8		थराली	100
9		देवाल	53
योग		चमोली	5877
1	पौड़ी	दुगड्डा	2236
2		कोट	3395
3		पौड़ी	2930
4		द्वारीखाल	3611
5		एकेश्वर	4272
6		यमकेश्वर	3588
7		पावों	3841
8		पोखड़ा	2573
9		जयहरीखाल	3310
10		रिखणीखाल	4408
11		खिर्सू	1815
12		बीरोंखाल	7759
13		कल्जीखाल	3563
14		नैनीडाण्डा	5523

15		थलीसैंण	7616
योग		**पौड़ी**	**60440**
1	उद्यमसिंहनगर	बाजपुर	2218
2		गदरपुर	2061
3		काशीपुर	4051
4		सितारगंज	889
5		रूद्रपुर	6438
6		खटीमा	4118
7		जसपुर	2183
योग		**उद्यमसिंहनगर**	**21958**
1	बागेश्वर	बागेश्वर	496
2		गरूड़	1399
3		कपकोट	30
योग		**बागेश्वर**	**1925**
1	चम्पावत	पाटी	3868
2		चम्पावत	5438
3		बाराकोट	2357
4		लोहाघाट	3434
योग		**चम्पावत**	**15097**
1	पिथौरागढ़	धारचूला	939
2		मुनस्यारी	154
3		मूनाकोट	1298
4		कनालीछीना	324
5		गंगोलीहाट	275
6		डीडीहाट	727
7		विण	1263
8		बेरीनाग	471
योग		**पिथौरागढ़**	**5451**
1	नैनीताल	भीमताल	1487
2		धारी	512
3		रामगढ़	526
4		कोटाबाग	629

5		हल्द्वानी	874
6		रामनगर	2295
7		बेतालघाट	2443
8		ओखलकाण्ड़ा	884
योग		**नैनीताल**	**9650**
1	अल्मोड़ा	हवालबाग	3429
2		लमगड़ा	1113
3		धौलादेवी	3693
4		भैंसियाछाना	2805
5		ताकुला	2551
6		ताड़ीखेत	3281
7		द्वाराहाट	2069
8		स्याल्दे	4757
9		भिकियासैंण	6293
10		चौखुटिया	6270
11		सल्ट	7523
योग		**अल्मोड़ा**	**43784**

2. आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि मैदानी जनपदों में जैसे हरिद्वार, देहरादून एवं ऊधम सिंह नगर में भी प्रवासी अपने गावों में लौटे हैं। राज्य के सभी विकास खण्ड़ों में प्रवासी लौटे हैं तथा सबसे अधिक जनपद पौड़ी के विकास खण्ड बीरोंखाल (7759), थैलीसैंण (7616) तथा जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट (7523), चौखुटिया (6270) तथा भिकियासैंण (6293) में अधिक संख्या में प्रवासी लौटकर आए हैं।

3. यह भी स्पष्ट है कि वापस आए प्रवासी जिन स्थानों से वापस आए हैं उनको 4 भागों में बांटा जा सकता है :–

(क) जनपद से जनपद में (लगभग 0.92%)

(ख) उत्तराखण्ड के अन्य जनपदों से (18.11%)

(ग) भारत के अन्य राज्यों से (80.68%)

(घ) विदेशों से (0.29%)

जनपदवार एवं विकासखण्डवार आंकड़े तालिका–4 एवं 5 में दर्शाए गए है।

तालिका 4

उत्तराखण्ड़ जनपदों में वापस आये प्रवासियों के वापसी का विकासखण्डवार विवरण

क्र.सं	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	जनपद से जनपद में	उत्तराखण्ड़ के अन्य जनपदों से	भारत के अन्य राज्यों से	विदेशों से	योग
1	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	0	0	3718	0	3718
2		जखोली	0	1	3428	0	3429
3		ऊखीमठ	0	0	509	0	509
योग		**रूद्रप्रयाग**	**0**	**1**	**7655**	**0**	**7656**
1	टिहरी	भिलगंना	1	212	455	7	675
2		थौलधार	0	804	1441	13	2258
3		प्रतापनगर	124	2189	3421	15	5749
4		जौनपुर	26	335	427	2	790
5		देवप्रयाग	7	655	1563	7	2232
6		कीर्तिनगर	24	1077	2301	8	3410
7		फकोट	3	223	630	1	857
8		जाखणीधार	1	387	656	6	1050
9		चम्बा	4	447	1056	12	1519
10		नगरीय क्षेत्र	0	428	271	3	702
योग		**टिहरी**	**190**	**6757**	**12221**	**74**	**19242**
1	उत्तरकाशी	पुरोला	3	544	246	3	796
2		चिन्यालीसौड	10	2322	3241	12	5585
3		डुण्ड़ा	3	2504	2639	28	5174
4		नौगांव	4	991	424	1	1420
5		मोरी	0	346	98	2	446
6		भटवाड़ी	20	3415	2104	13	5552
		अन्य	1	248	181	2	432
योग		**उत्तरकाशी**	**41**	**10370**	**8933**	**61**	**19405**
1	हरिद्वार	बहादराबाद	0	56	918	0	974
2		नारसन	1	50	478	30	559
3		लक्सर	2	39	203	0	244
4		भगवानपुर	4	69	508	38	619
5		खानपुर	9	20	437	1	467
6		रूड़की	10	45	209	9	273
योग		**हरिद्वार**	**26**	**279**	**2753**	**78**	**3136**

1	देहरादून	चकराता	0	12	150	0	162
2		कालसी	0	0	50	0	50
3		विकासनगर	0	54	358	0	412
4		डोईवाला	11	86	1033	0	1130
5		रायपुर	3	42	369	1	415
6		सहस्रपुर	0	0	85	0	85
योग		**देहरादून**	**14**	**194**	**2045**	**1**	**2254**
1	चमोली	नारायणबगड़	0	1	444	1	446
2		जोशीमठ	0	3	98	0	101
3		दशोली	0	9	539	3	551
4		कर्णप्रयाग	0	3	746	0	749
5		घाट	0	0	556	0	556
6		पोखरी	0	12	795	0	807
7		गैंरसैंण	0	33	2481	0	2514
8		थराली	0	0	100	0	100
9		देवाल	0	0	53	0	53
योग		**चमोली**	**0**	**61**	**5812**	**4**	**5877**
1	पौड़ी	दुगड्डा	6	794	1433	3	2236
2		कोट	5	870	2510	0	3395
3		पौड़ी	63	914	1942	11	2930
4		द्वारीखाल	134	1143	2312	22	3611
5		एकेश्वर	176	119	3969	8	4272
6		यमकेश्वर	79	1312	2177	20	3588
7		पावों	65	827	2948	1	3841
8		पोखड़ा	74	1256	1243	0	2573
9		जयहरीखाल	232	550	2528	0	3310
10		रिखणीखाल	44	615	3742	7	4408
11		खिर्सू	51	623	1138	3	1815
12		बीरोंखाल	192	1421	6145	1	7759
13		कल्जीखाल	2	655	2906	0	3563
14		नैनीडाण्डा	25	1090	4403	5	5523
15		थलीसैंण	123	1811	5677	5	7616
योग		**पौड़ी**	**1271**	**14000**	**45073**	**86**	**60440**
1	उद्यमसिंह नगर	बाजपुर	14	125	2079	0	2218
2		गदरपुर	0	98	1959	4	2061

3		काशीपुर	20	161	3868	2	4051
4		सितारगंज	1	30	844	14	889
5		रूद्रपुर	8	89	6303	38	6438
6		खटीमा	21	358	3523	216	4118
7		जसपुर	0	139	2044	0	2183
योग		**उद्यमसिंहनगर**	**64**	**1000**	**20620**	**274**	**21958**
1	बागेश्वर	बागेश्वर	0	9	487	0	496
2		गरूड़	0	221	1178	0	1399
3		कपकोट	0	0	30	0	30
योग		**बागेश्वर**	**0**	**230**	**1695**	**0**	**1925**
1	चम्पावत	पाटी	5	1301	2562	0	3868
2		चम्पावत	31	836	4551	20	5438
3		बाराकोट	4	283	2069	1	2357
4		लोहाघाट	5	282	3146	1	3434
योग		**चम्पावत**	**45**	**2702**	**12328**	**22**	**15097**
1	पिथौरागढ़	धारचूला	0	0	939	0	939
2		मुनस्यारी	0	0	154	0	154
3		मूनाकोट	0	0	1298	0	1298
4		कनालीछीना	0	19	305	0	324
5		गंगोलीहाट	0	95	180	0	275
6		डीडीहाट	0	3	724	0	727
7		विण	0	0	1263	0	1263
8		बेरीनाग	0	4	467	0	471
योग		**पिथौरागढ़**	**0**	**121**	**5330**	**0**	**5451**
1	नैनीताल	भीमताल	231	113	1138	5	1487
2		धारी	6	20	486	0	512
3		रामगढ़	0	0	526	0	526
4		कोटाबाग	3	64	561	1	629
5		हल्द्वानी	14	159	701	0	874
6		रामनगर	0	270	2024	1	2295
7		बेतालघाट	0	208	2235	0	2443
8		ओखलकाण्ड़ा	66	59	759	0	884
योग		**नैनीताल**	**320**	**893**	**8430**	**7**	**9650**
1	अल्मोड़ा	हवालबाग	2	146	3279	2	3429
2		लमगड़ा	0	90	1020	3	1113

3		धौलादेवी	0	110	3583	0	3693
4		भैंसियाछाना	0	558	2246	1	2805
5		ताकुला	0	90	2461	0	2551
6		ताड़ीखेत	3	305	2972	1	3281
7		द्वाराहाट	0	161	1908	0	2069
8		स्याल्दे	0	262	4495	0	4757
9		भिकियासैंण	0	245	6047	1	6293
10		चौखुटिया	18	211	6041	0	6270
11		सल्ट	0	300	7222	1	7523
योग		**अल्मोड़ा**	**23**	**2478**	**41274**	**9**	**43784**

तालिका 5

उत्तराखण्ड़ के जनपदों में वापस आये प्रवासियों के वापसी का जनपदवार विवरण

क्र0स0	जनपद का नाम	जनपद से जनपद में	उत्तराखण्ड़ के अन्य जनपदों से	भारत के अन्य राज्यों से	विदेशों से	योग
1	अल्मोड़ा	23	2478	41274	9	43784
2	नैनीताल	320	893	8430	7	9650
3	पिथौरागढ़	0	121	5330	0	5451
4	चम्पावत	45	2702	12328	22	15097
5	बागेश्वर	0	230	1695	0	1925
6	पौड़ी	1271	14000	45073	86	60440
7	चमोली	0	61	5812	4	5877
8	देहरादून	14	194	2045	1	2254
9	हरिद्वार	26	279	2753	78	3136
10	उत्तरकाशी	41	10370	8933	61	19405
11	टिहरी	190	6757	12221	74	19242
12	रूद्रप्रयाग	0	1	7655	0	7656
13	उद्यमसिंहनगर	64	1000	20620	274	21958
राज्य का योग		**1994**	**39086**	**174169**	**616**	**215875**
राज्य का प्रतिशत		**0.92%**	**18.11%**	**80.68%**	**0.29%**	**100%**

4. आयोग द्वारा COVID-19 के प्रकोप के दौरान उत्तराखण्ड के जनपदों में आए प्रवासियों का पेशेवार विवरण का भी आंकलन किया गया जिसका विवरण तालिका 6 में दर्शाया गया है। इनमें सबसे अधिक प्राइवेट नौकरी एवं आतिथ्य क्षेत्र (58.17%) कर रहे थे अन्य पेशे जिनसे लोग जुडे थे वह हैं सरकारी क्षेत्र, पंडिताई, मजदूरी, गृहणी, तकनीकी तथा स्वरोजगार। इन आंकड़ों से लौटे प्रवासियों को पुनर्वास के लिए सिफारिशें की जा रही हैं।

तालिका 6

उत्तराखण्ड़ जनपदों में आये प्रवासियों का जनपद़वार एवं पेशेवर विवरण

क्र0सं0	जनपद का नाम	सरकारी क्षेत्र	प्राइवेट नौकरी एवं आतिथ्य क्षेत्र	पण्डिताई	तकनीकी	गृहणी	विद्यार्थी	मजदूर	बेरोजगार	स्वरोजगार	अन्य	योग
1	अल्मोड़ा	724	33002	2	47	2052	1920	176	26	278	5557	43784
2	नैनीताल	657	4102	15	106	925	945	720	104	144	1932	9650
3	पिथौरागढ़	85	2957	0	10	214	249	1464	3	55	414	5451
4	चम्पावत	203	8749	31	100	825	969	599	2286	654	681	15097
5	बागेश्वर	68	953	0	81	215	230	8	1	361	8	1925
6	पौड़ी	983	27772	70	102	6822	7301	515	107	375	16393	60440
7	चमोली	47	4077	1	84	310	352	48	0	53	905	5877
8	देहरादून	52	1258	14	10	186	219	209	0	87	219	2254
9	हरिद्वार	7	833	0	84	33	16	1767	78	103	215	3136
10	उत्तरकाशी	3	13866	2	242	0	1341	0	167	287	3497	19405
11	टिहरी	694	10412	213	237	1738	2799	388	5	395	2361	19242
12	रूद्रप्रयाग	120	4813	0	0	707	665	71	143	52	1085	7656
13	ऊधमसिह नगर	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21958
योग	**उत्तराखण्ड़**	**3643**	**112794**	**348**	**1103**	**14027**	**17006**	**5965**	**2920**	**2844**	**33267**	**215875**
प्रतिशत	**उत्तराखण्ड़**	**1.90%**	**58.17%**	**0.20%**	**0.60%**	**7.20%**	**8.80%**	**3.10%**	**1.50%**	**1.50%**	**17.00%**	**100%**

अध्याय–3

उपलब्ध योजनाएँ एवं कार्यक्रम

इस अध्याय में राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे उपलब्ध कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है जिनका लाभ COVID-19 के प्रकोप के पश्चात् गांवों में लौटे प्रवासियों को मिल सकता है तथा ये कार्यक्रम उनके आर्थिक पुनर्वास में सहायक होंगी। इन योजनाओं के अतिरिक्त यह लोग अन्य योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

योजना का उद्देश्य प्रदेश के ऐसे उद्यमशील युवाओं, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड–19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आये हैं, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों आदि को अभिप्रेरित कर स्वयं के उद्यम/व्यवसाय की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करना है। योजनान्तर्गत ऐसे उद्यमशील युवा उद्यमी, जो राज्य के मूल अथवा स्थायी निवासियों और जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने एवं स्वयं के उद्यम, सेवा एवं व्यवसाय को प्रारम्भ करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंको/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उद्यमशील व्यक्ति/युवा अपना स्वयं का रोजगार प्रारम्भ कर सके। योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैंः–

(i) स्वरोजगार हेतु नये सेवा, व्यवसाय तथा सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन।

(ii) युवा उद्यमियों, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड–19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आये हैं, कुशल व अकुशल दस्तकरों/हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों को यथासम्भव उनके आवासीय स्थल के पास रोजगार के अवसर सुलभ कराना।

(iii) पर्वतीय व ग्रामीण क्षेत्रों से नौकरी की खोज में होने वाले पलायन को रोकना।

कार्ययोजना

ऐसे उद्यमशील युवाओं/युवतियों, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड–19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आये हैं, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों को स्वरोजगार की ओर अभिप्रेरित करने, उन्हें आवश्यक मार्ग–दर्शन देने, विभिन्न स्वरोजागर एवं उद्यम स्थापना से सम्बन्धित सभी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने तथा संचालित योजनान्तर्गत लाभान्वित कराये जाने की विशेष व्यवस्था जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से की जायेगी।

पात्रता की शर्तें एवं अर्हता

(1) आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

(2) शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।

(3) योजनान्तर्गत उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी।

(4) आवेदक यह इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का चूककर्ता (Defaulter) नहीं होना चाहिए।

(5) आवेदक द्वारा विगत 5 वर्ष के भीतर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो, किन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा 5 वर्ष पूर्व भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना में लाभ प्राप्त किया गया है और वह चूककर्ता (Defaulter) नहीं है, तो वह अपने उद्यम के विस्तार के लिए योजनान्तर्गत वित्त पोषण प्राप्त कर सकता है।

(6) आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभन्वित किया जायेगा।

(7) आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

(8) विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(9) लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन कम फर्स्ट सर्व (पहले आओ पहले पाओ) के आधार पर किया जायेगा।

पात्र गतिविधियां

पात्र गतिविधयों में सभी प्रकार के व्यवसाय, सेवा गतिविधियों एवं विनिर्माणक सूक्ष्म उद्यम शामिल हैं।

जिला स्तरीय समीक्षा समिति

(क) योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति सतत समीक्षा करेगी। जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति (DLRC) की बैठक के साथ आहूत की जा सकती है।

(ख) समिति लम्बित प्रकरणों, सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना, उद्यमियों की समस्याओं एवं अन्य विषय जो समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे, की समीक्षा करेगी।

(ग) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समीक्षा समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे :–

1. जिलाधिकारी – अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी – सदस्य

3. जिला अग्रणी बैंक के प्रबन्धक – सदस्य

4. तीन प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि – सदस्य

5. जिला सेवायोजन अधिकारी – सदस्य

6. आई.टी.आई./पॉलिटैक्निक कॉलेज के प्रतिनिधि – सदस्य

7. जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी – सदस्य

8. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र – सदस्य सचिव

वित्त पोषण हेतु अधिकृत बैंक/वित्तीय संस्था

(क) सभी सार्वजनिक बैंक।

(ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक।

(ग) सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

(घ) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सहकारी बैंक/निजी वाणिज्यिक बैंक।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में अधिसूचित किया गया था। अधिनियम में एक संशोधन के अनुसार शब्द "महात्मा गांधी" राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के आगे उपसर्ग के रूप में जोड़े गए थे। इस अधिनियम में उन जिलों को छोड़कर पूरे देश को शामिल किया गया है जिसकी शहरी आबादी सौ प्रतिशत है। मनरेगा अधिनियम में प्रावधानों की श्रृंखला के माध्यम से ग्रामीण श्रमिकों को कई कानूनी अधिकार प्रदान करता है। जहाँ यह अधिनियम एक साल में प्रति ग्रामीण परिवार कार्य के सौ दिनों का प्रावधान करता है, यह अधिकारों और हकदारियों का सुदृढ़ क़ानूनी ढांचा है जो प्रति वर्ष सौ दिनों के काम को संभव बनाता है। मनरेगा का लक्ष्य वह प्रत्येक गरीब परिवार को एक वित्तीय वर्ष में गारंटीकृत वेतन रोजगार के एक सौ तक के दिन प्रदान करके आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है जिस परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल मैन्युअल कार्य करने के लिए स्वेच्छापूर्वक तैयार होते हैं। मनरेगा एक माँग संचालित कार्यक्रम है, इसलिए निधि और रोजगार सृजन की आवश्यकता काम की मांग पर निर्भर करती है। अधिनियम का प्रमुख फोकस रोजगार अवसर प्रदान करके ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा की सुविधा प्रदान करना है और इस तरह स्थानीय लोगों के समग्र विकास के प्रति योगदान देना है।

वर्ष 2008–2009 में, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल संसाधन मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और भूमि संसाधन विभाग की योजनाओं, ग्रामीण विकास मंत्रालय की गतिविधियों के साथ मनरेगा गतिविधियों के सम्मिलन के लिए संयुक्त दिशानिर्देश तैयार किए थे ताकि मनरेगा गतिविधियों और इन मंत्रालयों की गतिविधियों के बीच तालमेल बनाया जा सके, दुर्लभ संसाधनों के उपयोग का अनुकूलन किया जा सके और ग्रामीण आजीविका स्थिरता के लिए टिकाऊ और उत्पादक संपत्ति बनाई जा सके। प्रारंभ में, सम्मिलन गतिविधियों के लिए पायलट के रूप में भारत के 126 जनपदों को चुना गया था। बाद में, मनरेगा सम्मिलन

को कुछ अधिक योजनाओं/गतिविधियों तक बढ़ाया गया था जैसेकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी. एम.के.एस.वाय.), राष्ट्रीय आजीविका मिशन, आदि (उत्तराखंड में मनरेगा के तहत सम्मिलन गतिविधियों के मूल्यांकन पर अध्ययन रिपोर्ट, एन.आई.आर.डी.पी.आर.)

योजना के तहत कार्य के प्रकारः

- जलभराव क्षेत्रों में जल निकासी सहित बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण कार्य।
- सभी मौसम की पहुँच प्रदान करने के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी। केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कार्य।
- जल संरक्षण और जल संचयन।
- सूखा प्रूफिंग (वनीकरण और वृक्षारोपण)
- सिंचाई नहरें
- इंदिरा आवास योजना के तहत एस.सी./एस.टी. लाभार्थियों के स्वामित्व वाली भूमि के लिए सिंचाई सुविधा का प्रावधान।
- पारंपरिक जलस्रोतों का नवीनीकरण, टंकियों में से गाद निकालना
- भूमि विकास

दीन दयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डी.ए.वाय.–एन.आर.एल.एम)

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाय.) ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम था। वह 1999 में शुरू हुआ था और उसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2010-11 में पुनर्गठित किया गया था। स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना का लक्ष्य ग्रामीण बी.पी.एल. परिवारों को गरीबी में से बाहर लाने के लिए आय सृजन संपत्तियां/आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से उन्हें टिकाऊ आय प्रदान करना था।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना क्रियान्वयन के विविध पहलुओं की जाँच करने के लिए स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना (प्रो. राधाकृष्ण की अध्यक्षता में) के तहत क्रेडिट संबंधित मुद्दों पर एक समिति गठित की थी। समिति ने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए "आजीविका दृष्टिकोण" अपनाने की सिफारिश की थी। इस दृष्टिकोण में निम्नलिखित चार अंतर–संबंधित कार्य शामिल हैंः

- गरीब परिवारों को कार्यात्मक रूप से प्रभावी स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) और उनके संघों में संगठित करना।
- बैंक क्रेडिट और वित्तीय, तकनीकी तथा विपणन सेवाओं के लिए पहुँच बढ़ाना।
- लाभप्रद और स्थायी आजीविका विकास के लिए क्षमताओं और कौशलों का निर्माण करना।

- गरीब परिवारों के लिए सामाजिक और आर्थिक सहाय सेवाओं के कार्यक्रम वितरण के लिए विविध योजनाओं को मिलाना।

ग्रामीण विकास मंत्रालय गरीब परिवारों को लाभप्रद स्व–रोजगार और कुशल वेतन रोजगार अवसरों की पहुँच के लिए संक्षम बनाकर गरीबी कम करने के लिए दीन दयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लागू कर रहा है जिससे गरीबों के मजबूत और जमीनी स्तर के संस्थानों के निर्माण के माध्यम से उनकी आजीविकाओं में स्थायी आधार पर सराहनीय सुधार होगा। उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि हर परिवार, जब 6-8 साल की अवधि के लिए स्वयं सहायता समूह नेटवर्क में होता है, परिवार खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सक्षम है और उस परिवार में 3-4 स्थिर आजीविकाऐं है। देश में लगभग 90% ग्रामीण गरीब वाले 13 उच्च गरीबी राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना लागू की जा रही है।

डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम. देश के सभी जनपदों में ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रोत्साहित करता है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान इन जनपदों में से बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम और उसके बाद व्यवस्थित रूप से हैंडहोल्डिंग सहायता और बैंक लिंकेज के माध्यम से आत्मविश्वास से स्व–नियोजित उद्यमियों में बदलते हैं। बैंकों को चयन, प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बाद के कार्यों में शामिल किया गया है।

एन.आर.एल.एम. स्व–प्रबंधित स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.एस.) और संघबद्ध संस्थाओं के माध्यम से देश में 600 जिलों, 6000 विकास खण्डों, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गाँवों में 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को सम्मिलित करने और 8-10 वर्षों की अवधि में उन्हें आजीविका सामूहिकता के लिए समर्थन करने की एक कार्यसूची के साथ प्रस्थापित है।

इसके अलावा, गरीबों को अधिकारों और सार्वजनिक सेवाओं, विविध जोखिम और सशक्तीकरण के बेहतर सामाजिक संकेतकों तक पहुँच बढ़ाने में मदद मिलेगी। डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम. गरीबों की जन्मजात क्षमताओं को उपयोग में लाने में विश्वास रखता है और देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए उन्हें क्षमताओं (सूचना, ज्ञान, कौशल, उपकरण, वित्त और सामूहिकता) के साथ परिपूरक बनाता है।

नवंबर 2015 में, इस कार्यक्रम का नाम बदल कर दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया था।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.–जी.के.वाय):

कौशल विकास योजना एक रोजगार पंजीकरण से जुड़ी हुयी योजना है और डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम. का एक हिस्सा है। यह ग्रामीण गरीब युवाओं की व्यावसायिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण गरीबों की आय में विविधता लाने की आवश्यकता में से विकसित हुई है। उसका लक्ष्य ग्रामीण गरीब युवाओं के स्किलिंग और उन्हें नियमित मासिक वेतन वाली नौकरियाँ प्रदान करना है (न्यूनतम 6000 रुपये प्रति मास अथवा न्यूनतम वेतन से अधिक पर इनमें से जो भी उच्चतर है)।

डी.डी.यू.–जी.के.वाई. विशिष्ट रूप से गरीब परिवारों के गरीब परिवारों से 15 और 35 वर्ष के बीच के ग्रामीण युवाओं पर केंद्रित है। स्किल इंडिया अभियान के एक हिस्से के रूप में, वह सरकार के मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज और स्टार्ट–अप इंडिया, स्टैंड–अप इंडिया अभियानों जैसे सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों के समर्थन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 18 से 34 वर्ष की आयु के बीच की देश की 180 मिलियन या 69% से अधिक युवा आबादी उसके ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इनमें

से, गरीब परिवारों के पिरामिड युवाओं की संख्या, जिनके पास कोई मामूली रोजगार नहीं है, लगभग 55 मिलियन है।

डी.डी.यू.–जी.के.वाई. स्किलिंग इकोसिस्टम में ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी.) अथवा राष्ट्रीय मिशन मैनेजमेंट यूनिट (एन.एम.एम.यू. अथवा एन.यू.), राज्यों के मिशन, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियाँ अथवा प्रशिक्षण भागीदारों और तकनीकी समर्थन एजेंसियाँ शामिल हैं। पाठ्यक्रम समर्थन राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.वी.टी.) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन.एस.डी.सी.) के सेक्टर कौशल परिषदों (एस. एस.सी.) के माध्यम से है। उद्योग साझेदारियाँ और नियोक्ताओं के साथ साझेदारी युक्त, इकोसिस्टम एक प्रत्याशी के लिए सर्वोत्तम संभव प्रशिक्षण और लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए एक साथ आता है।

डी.डी.यू.–जी.के.वाई. कार्यक्रम के दिशा निर्देशों (2016) द्वारा निर्देशित है। दिशानिर्देश प्रमुख प्रक्रियाओं के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं जैसे कि किन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है, संभावित पी.आई.ए.एस. के लिए आवश्यक पात्रता मानदण्ड, परियोजनाओं और पी.आई.ए. मूल्यांकन मानदण्डों, धन के मानदण्ड एवं हितधारकों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ। इनमें से कई प्रक्रियाओं को मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एस.ओ. पी.) में आगे विस्तृत की गई हैं, जिन्हें समय समय पर अधिसूचित किया जाएगा। डी.डी.यू.–जी.के.वाय. को लागू करने के लिए समग्र नीति ढांचे और संस्थागत प्रक्रियाओं को समझने के लिए एस.ओ.पी. और दिशानिर्देशों को एक साथ पढ़ा जाना आवश्यक है।

राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (रुर्बन)

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन फरवरी 2016 में 300 रुर्बन समूह बनाने और इन समूहों में बुनियादी, सामाजिक, आर्थिक एवं डिजिटल सुविधाओं में स्थित अंतरों का नियंत्रण करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। देश में ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े हिस्से एकल बस्तियाँ नहीं लेकिन बस्तियों के एक समूह का हिस्सा हैं, जो एक–दूसरे के अपेक्षाकृत समीप हैं। यह समूह आम तौर पर विकास की क्षमता का उदाहरण देते हैं, इनमें आर्थिक कारक हैं और स्थानीय तथा प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए, ऐसे समूहों के लिए ठोस नीति निर्देशों के लिए एक मामला बनाना है। जब यह समूह विकसित हो जाते हैं फिर उन्हें "रुर्बन" के तौर पर वर्गीकृत किया जाएगा। इसलिए इस पर संज्ञान लेते हुए, भारत सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.) का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और भौतिक अवसंरचना सुविधाओं के प्रावधानीकरण द्वारा ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है।

कृषि–सेवाओं, पर्यटन और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के क्षेत्रों में विषयगत आर्थिक विकास बिंदुओं के साथ, 300 रुर्बन समूहों में से कम से कम 100 रुर्बन समूहों के साथ उभरने के लिए बुनियादी और आर्थिक सुविधाओं का प्रावधान होगा जो खुले में शौच मुक्त, शून्य अपशिष्ट वाले होंगे, हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए पर्याप्त स्ट्रीट लाइट के साथ आवरित किए जाएँगे, जिसमें सुरक्षित पेयजल के उपयोग वाले घर शामिल हैं और एलपीजी कनेक्शन के साथ परिपूर्ण हैं।

राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एन.आर.यू.एम.) गाँवों के समूह के विकास की दृष्टि का अनुपालन कर्ता है जो प्रकृति में शहरी होने वाली सुविधाओं के साथ समझौता किए बिना निष्पक्षता और समाविष्टि पर ध्यान देने के साथ ग्रामीण सामुदायिक जीवन के सार को संरक्षित और पोषण करता है, इस प्रकार "**रुर्बन गाँव**" बनाने हैं।

सहकारिता

सहकारिता वह उद्यम हैं जो लोगों को उनके व्यवसाय के केन्द्र में रखते हैं न की पूंजी में। सहकारिता व्यवसाय उद्यम हैं और इस प्रकार तीन मूल हितों के संदर्भ में परिभाषित किए जा सकते हैंः स्वामित्व, नियंत्रण और लाभार्थी। केवल सहकारी उद्यम में सभी तीन हित सीधे उपयोगकर्ता के हाथों निहित होते हैं।

सहकारिता संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट हुए व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है।

पंचायती राज संस्थानें और सहकारी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। सहकारिता पूरे देश में विस्तारित हुई है और वर्तमान में देश भर में अनुमानित 230 मिलियन सदस्य हैं। सहकारी ऋण प्रणाली का दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है और सहकारी समितियों ने वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक श्रेय प्राप्त किया है। उर्वरक उत्पादन और वितरण में भारतीय उर्वरक सहकारी की बाजार के 35% से अधिक हिस्से पर कमान है। चीनी के उत्पादन में बाजार की सहकारी हिस्सेदारी 58% से अधिक है और कपास में उनकी हिस्सेदारी लगभग 60% है। हाथ–बुनाई क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र 55% करघे के लिए उत्तरदायी है। (स्रोतः भारतीय सहकारी आंदोलनः एक सांख्यिकीय प्रोफाइल – 2016, भारत का राष्ट्रीय सहकारी संघ)

सहकारी ऋण और अधिकोषण योजना

यह योजना विभिन्न कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में सहायता करती है। हाल में, सहकारी क्रेडिट समितियाँ अपने किसान सदस्यों को कृषि उत्पादन ऋण, उर्वरक, बीज, कीटनाशक दवाओं आदि के लिए साधन उपलब्ध करा रही हैं। इसके अलावा, उसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को हाशिए पर नहीं रहने में मदद करना है और इस श्रेणी में कम से कम 30 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराना है। राज्य में जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषि ऋण समितियों में मिनी बैंक भी संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में 5 शहरी सहकारी बैंक हैं, जिनमें से नैनीताल और अल्मोड़ा की म्युनिसिपल बैंक अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे लोगों को शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के अवसर मिल रहे हैं। वेतनभोगी कर्मचारियों की सुविधा के लिए उनके संस्थानों में वेतनभोगी सहकारी समितियों का गठन किया गया है, जिन्हें उनके सदस्यों को ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है। अधिकतम वेतनभोगी समितियों की आर्थिक स्थिति मजबूत है। इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित अनुदान दिए गए हैंः

1. पी.ए.सी.एस. सचिवों के वेतन के लिए सामान्य कैडर अनुदान
2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के शेयरों की खरीद के लिए ब्याज मुक्त ऋण / अनुदान
3. प्रारंभिक कृषि क्रेडिट समितियों को नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान
4. कृषि सहकारी क्रेडिट समितियों के लिए मिनी बैंक की स्थापना के लिए प्रशासनिक और रखरखाव अनुदान

5. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ब्याज में राहत के लिए अनुदान

6. महिला बचत समूह को मार्जिन मनी

7. महिला बचत समूहों की स्थापना और प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता

पशुपालन

जिला योजना–

अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों हेतु रोजगारपरक कुक्कुट पालन योजना–जिला योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार /अतिरिक्त आय अर्जन हेतु कुक्कुट पालन कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना संचालित की जा रही है जिसके अन्तर्गत–

- प्रत्येक चयनित लाभार्थी को निःशुल्क एक यूनिट प्रदान की जाती है।
- एक यूनिट की लागत रूपये 2100 होती है।
- एक यूनिट के अन्तर्गत–
    - एक दिवसीय 50 क्रायलर चूजे (रूपये 22 प्रति चूजा) –रूपये 1100
    - चूजो का परिवहन – रूपये 150
    - जाली का मूल्य – रूपये 400
    - औषधि का मूल्य – रूपये 150
    - एक माह का दाना – रूपये 300

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 12077 यूनिट वितरित की गई।

राज्य सैक्टर –

महिला बकरी पालन योजना – राज्य सैक्टर योजना के अन्तर्गत परित्यक्ता, विधवा, निराश्रित व अकेली रह रही महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु महिला बकरी योजना के अन्तर्गत शतप्रतिशत राजकीय सहायता से योजना चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है।

बकरी पालन, भेड़ पालन एवं गौ पालन योजना – राज्य सैक्टर के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एव जनजाति के बी.पी.एल. परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु बकरी पालन, भेड़ पालन एवं गौ पालन की 90 प्रतिशत राजकीय सहायता से योजना चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है।

केन्द्र पोषित योजना –

मदर पोल्ट्री यूनिट की स्थापना– भारत सरकार की नेशनल लाइवस्टाक मिशन योजनान्तर्गत मदर पोल्ट्री यूनिट की स्थापना की जाती है जिसके अन्तर्गत–

– रूपये 1.50 लाख की लागत से एक मदर पोल्ट्री यूनिट की स्थापना की जाती है जिस हेतु चयनित लाभार्थी को रूपये 0.60 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा अवशेष रूपये 0.90 लाख उसे स्वयं वहन करना पडता है।

– राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों से यूनिट को रूपये 25 प्रति चूजा (एक दिवसीय) की दर से 06 बैच में 9 हजार चूजे (एक बैच में 1500 चूजे) उपलब्ध कराये जाते है।

– मदर पोल्ट्री यूनिट द्वारा एक माह तक चूजे पाले जाते है तथा इसके बाद उसके द्वारा इन एक माह के चूजो को रूपये 70 की दर पर विभाग द्वारा चयनित लाभार्थियों को 90 चूजे प्रति लाभार्थी को विक्रय किये जाते है। इन 70 रूपये में से विभाग द्वारा रूपये 50 तथा 20 रूपये चयनित लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है।

– आय–

  - मदर पोल्ट्री यूनिट के लाभार्थी को एक वर्ष में 1500 चूजो के 06 बैच के विक्रय से लगभग रूपये 1,42,912 की सम्भावित आय होती है।

  - कुक्कुट पालक लाभार्थी को 90 चूजो के विक्रय से लगभग रूपये 23,700 की सम्भावित आय होती है।

– वर्ष 2016–17 में प्रत्येक जनपद में एक मदर पोल्ट्री यूनिट की स्थापना की गई है।

– वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से प्रत्येक जनपद में दो मदर पोल्ट्री यूनिट की स्थापना की जा रही है।

इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टीविटी प्रोजेक्ट– भारत सरकार की नेशनल लाइवस्टाक मिशन योजनान्तर्गत यह योजना संचालित की जा रही है जिसके अन्तर्गत–

– भारत सरकार द्वारा एक वर्ष में दो जनपदों के दो–दो विकासखण्डों हेतु यह योजना स्वीकृत की जाती है।

– प्रत्येक चयनित विकासखण्ड में 200 लाभार्थियों का चयन किया जाता है।

– प्रत्येक चयनित लाभार्थी को कुक्कुट पालन प्रारम्भ करने हेतु कुक्कुट बाडे, कुक्कुट आहार आदि हेतु रूपये 15 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

– प्रत्येक चयनित लाभार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में 200–200 एक माह के चूजे रूपये 70 प्रति चूजे की दर से प्रदान किये जाते है। इन 70 रूपये में से विभाग द्वारा रूपये 50 तथा 20 रूपये चयनित लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है।

- वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में अल्मोड़ा जनपद के विकासखण्ड हवालबाग एवं ताकुला तथा उत्तरकाशी जनपद के भटवाडी एवं चिन्यालीसौड़ विकासखण्डों में यह योजना संचालित की गई।

- वर्ष 2019–20 में स्वीकृत यह योजना टिहरी जनपद के विकासखण्ड नरेन्द्रनगर एवं कीर्तिनगर तथा बागेश्वर जनपद के विकासखण्ड कपकोट एवं गरूड़ में संचालित की जा रही है।

- वर्ष 2020–21 में जनपद पिथौरागढ एवं पौड़ी में योजना संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

कृषि

स्टेट मिलेट मिशन योजना

1. वर्ष 2019–20 के अनन्तिम उत्पादन अनुमानों के अनुसार उत्तराखण्ड प्रदेश में मण्डुवा का कुल क्षेत्रफल 83988 हैक्टेयर एवं उत्पादन 120083 मैट्रिक टन है, तथा झंगोरा(सांवा) के अन्तर्गत 46408 हैक्टेयर एवं उत्पादन 64093 मैट्रिक टन है। प्रदेश के छः जनपदों पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ में मण्डुवा का क्षेत्रफल एवं उत्पादन अन्य जनपदों की अपेक्षा अधिक है। इसी प्रकार जनपद पौड़ी, अल्मोड़ा एवं टिहरी में झंगोरा/सांवा का क्षेत्रफल अधिक है। इन जनपदों में मण्डुवा एंव झंगोरा (सांवा) का उत्पादन प्रदेश के कुल उत्पादन का 74 प्रतिशत है।

2. कृषक समूहों/क्लस्टर से योजना के प्रथम वर्ष में उत्पादन का लगभग 25 से 30 प्रतिशत भाग विपणन हेतु क्रय किया जा सकता है। जिसके अनुसार लगभग 30000 मैट्रिक टन मण्डुवा क्रय किया जायेगा, जिसमें 10000 मैट्रिक टन कृषि उत्पादन विपण बोर्ड एवं 20000 मैट्रिक टन सहकारिता विभाग द्वारा क्रय किया जायेगा। इसी प्रकार 3000 मैट्रिक टन झंगोरा (सांवा) क्रय किये जाने पर सहमति हुई, जिसमें 1000 मैट्रिक टन कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड एवं 2000 मैट्रिक टन सहकारिता विभाग द्वारा क्रय किया जायेगा।

3. **परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत क्लस्टर एवं उत्पादन** जनपदों में परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत मण्डुवा एवं सांवा के क्लस्टर संचालित है।

4. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत थर्ड पार्टी जैविक कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादनः–**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत मण्डुवा एंव सांवा की थर्ड पार्टी जैविक खेती कार्यक्रम का संचालन उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद द्वारा किया जा रहा है।

5. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिषन के अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन–** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–पौष्टिक अनाज के अन्तर्गत मण्डुवा एवं झंगोरा (सांवा) के प्रोत्साहन हेतु प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है।

उद्यान

उद्यान क्षेत्र में विभिन्न केन्द्र पोषित एवं राज्य योजनाऐं संचालित हो रही हैं जिनका लाभ वापस आये प्रवासियों को मिल सकता है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित बिन्दुओं में दिया गया है:–

➢ **केन्द्रपोषित योजनाएँ:–**

- **बागवानी मिशन**

1. फल पौधशाला स्थापना
2. क्षेत्रफल विस्तार
   - (i) फल (कम समय में उत्पादन देने वाली फसलें–कीवी, स्ट्रॉबेरी, केला, सेब, अमरूद) (सामान्य क्षेत्रफल विस्तार– आम, लीची, आड़ू, अमरूद, आंवला, नीबू वर्गीय फल आदि)
   - (ii) सब्जी (टमाटर, फूलगोभी, बन्दगोभी, शिमला मिर्च)
   - (iii) मसाला (अदरक, हल्दी, लहसुन, मिर्च)
   - (iv) पुष्प (गुलाब, ग्लेडियोलस व गेंदा)
3. पुराने अनुत्पादक उद्यानों की जीर्णोद्धार
4. जल स्रोतों का सृजन (ट्यूबवैल/पौण्ड)
5. संरक्षित खेती (सब्जी/पुष्प उत्पादन हेतु)
   - (i) 500 वर्ग मीटर तक के पॉलीहाउस की स्थापना
   - (ii) 500 वर्ग मीटर से अधिक के पॉलीहाउस की स्थापना
   - (iii) शैडनेट हाउस की स्थापना
   - (iv) एन्टी हेलनेट
   - (v) प्लास्टिक मल्चिंग
6. औद्यानिक यन्त्रीकरण
7. तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन (पैकहाउस, कोल्ड रूम, रिफरवैन, कोल्ड स्टोरेज आदि)
8. रिटेल आउटलेट
9. खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापना

- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना**

  ड्रिप/स्प्रिंकलर स्थापना
  - (i) सामान्य कृषकों हेतु
  - (ii) लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु

- **माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इन्टरप्राइजेज (नई योजना)**

खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापना हेतु सहायता
दिशा–निर्देश भारत सरकार द्वारा तैयार किये जा रहे हैं।

➢ **राज्य योजनायें**

1. मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना
   - (क) सब्जी, आलू, मसाला, बीज, फलपौध, पुष्पबीज/बल्ब
   - (ख) कीटनाशक रसायन
   - (ग) कूल हाउस
   - (घ) रेफ्रिजरेटड वैन
2. छोटी फल पौधशाला/अखरोट नर्सरी स्थापना

3. मशरूम उत्पादन एवं विपणन की योजना (कम्पोस्ट एवं स्पॉन वितरण)
4. मौनपालन
   (i) मौन कॉलोनी/मौनबॉक्स वितरण
   (ii) परपरागण हेतु मौन बॉक्स पर सहायता
5. उद्यानों की घेरबाड
6. वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापना
7. पैकिंग मैटेरियल वितरण (कोरोगेटेड बॉक्स, प्लास्टिक क्रेटस, किल्टा आदि)
8. मिशन एप्पल (सेब के अति सघन बागान की स्थापना)

अध्याय–4

सिफारिशें

सामान्य सिफारिशें:–

1. यह आवश्यक है कि Reverse Migrants के आर्थिक पुनर्वास हेतु राज्य सरकार विशेष कार्यक्रम चलाए। इससे उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में ग्रामीण विकास और सुदृढ़ होगा, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ सुधरेंगी जिससे राज्य से हो रहा पलायन भी कम होगा।

2. इस प्रक्रिया से Reverse Migrants को जनपदों में ही रहकर आजीविका की सुविधाऐं उपलब्ध होंगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाऐं भी सुदृढ़ होंगी।

3. कृषि / बागवानी / पशुपालन / टूरिज्म तथा स्वरोजगार पर ही Focus किया जाना चाहिए। सभी विभाग Reverse Migrants के आर्थिक पुनर्वास हेतु अपनी योजनाओं में (यदि आवश्यक हो) बदलाव करें।

4. COVID-19 **के प्रकोप के बाद राज्य में आये** Reverse Migrants **अपने–अपने क्षेत्र में काफी अनुभवी हैं।** जैसे कि– आतिथ्य क्षेत्र एवं अन्य सेवा क्षेत्र। इनका लाभ होम स्टे, होटल, ईको–टूरिज्म, साहसिक खेल आदि में मिल सकता है। इनमें से कई लोग अपने अनुभव के आधार पर अपने जनपद में ही रह कर आजीविका उत्पन्न करने में सफल हो सकते हैं।

5. राज्य, जनपद एवं तहसील / विकास खण्ड स्तर पर नियोजन विभाग या ग्राम्य विकास विभाग में इस कार्य को सफल बनाने हेतु विशेष इकाई (Dedicated Cell) तुरंत स्थापित की जानी चाहिए। यह इकाई ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के साथ Reverse Migrants के पुनर्वास के सभी कार्यों का समन्वय करेगी।

6. इन सभी लोगों से व्यक्तिगत स्तर पर सम्पर्क स्थापित करना आवश्यक है, जिससे इनके अनुभवों, रूचि एवं आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इस जानकारी से एक डेटाबेस तैयार किया जाना चाहिए, जो कि राज्य एवं जनपद स्तर की इकाईयों में उपलब्ध होगा। प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए रणनीति बनाई जाये जिससे की ये लोग पुनः पलायन न करें। इनमें से कई लोग सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में नहीं जानते हैं। विभिन्न विभागों के विकास खण्ड स्तर के अधिकारी इन Reverse Migrants से सम्पर्क स्थापित कर इनका मार्गदर्शन करेंगे तो इस प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

7. इन Reverse Migrants के लिए एक Helpline बनायी जानी चाहिए ताकि इनकी आजीविका, ऋण तथा अन्य समस्याओं को सुलझाया जा सके।

8. आतिथ्य क्षेत्र, ईको टूरिज्म, Micro Enterprises आदि के लिए ब्याज मुक्त ऋण, सब्सिड़ी, सस्ती बिजली की निर्धारित दरें की जा सकती हैं।

9. इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि एम.एस.एम.ई., रोजगार सृजन योजना, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना आदि से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को काफी लाभ हो रहा है। इन योजनाओं में अतिरिक्त बजट का प्रावधान करना आवश्यक है।

10. मूलभूत सुविधाओं जैसे कि सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा का अभाव पलायन का एक बड़ा कराण है। विभिन्न ग्राम पंचायतों में इस कमी की Mapping करायी जाए तथा विभिन्न योजनाओं से इन मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने से भी Reverse Migrants के पुनर्वास में लाभ होगा।

11. राज्य के विभिन्न जनपदों में COVID-19 के प्रकोप से पहले Reverse Migration करके आए काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने आर्थिक सफलता प्राप्त की है। इनका उदाहरण प्रस्तुत कर वर्तमान में Reverse Migrants को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाः–

हाल ही में प्रदेश में लौटे प्रवासियों को तथा अन्य सभी व्यक्तियों को लाभ देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना प्रदेश के सभी जनपदों के लिए है तथा इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि स्वरोजगार की सभी योजनाओं में सफलता अधिक है क्योंकि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए सभी विभाग की स्वरोजगार के लिए Micro Enterprises अधिक सफल है। आयोग के एक आंकलन के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्योग में 1 करोड़ के निवेश करने के उपरांत लगभग 50–55 व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना पर आधारित है तथा इसके अन्तर्गत लगभग सभी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं।

इस योजना से अधिक से अधिक प्रवासियों को लाभ दिलाने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की जा रही हैंः–

1. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक प्रारम्भ के 5–6 महीनों में कम से कम सप्ताह में एकबार होनी चाहिए न कि माह में एकबार जैसा कि योजना में प्रस्तावित है।

2. प्रदेश में लौटे सभी प्रवासियों को SMS द्वारा इस योजना के बारे मे जानकारी देना आवश्यक है जिससे वह अधिक से अधिक संख्या में लाभ प्राप्त कर सकें।

3. जिलास्तर समिति के अतिरिक्त प्रत्येक तहसील/विकास खण्ड स्तर पर भी एक समिति गठित हो जिससे जमीनी स्तर पर अधिक समन्वय स्थापित हो सके। इसमें बैंकों के प्रतिनिधियों का भाग लेना भी आवश्यक है ताकि ऋण लेने में अधिक सुविधा हो सके।

4. प्रत्येक जिले के लिए लक्ष्य तय किए जाऐं तथा समयसीमा भी निर्धारित की जानी आवश्यक है।

5. योजना की वेबसाईट में और सुधार किया जाए तथा इसमें FAQ (सामान्य प्रश्न) भी जोड़े जाऐं ताकि लाभार्थियों को सुविधा हो सके।

6. यद्यपि सम्बन्धित विभाग द्वारा कई मॉडल प्रोजेक्ट बनाये गये हैं परन्तु प्रवासियों को उनकी आवश्यकता तथा अनुभव के अनुसार इन प्रोजेक्टों को बनाने में मदद करनी होगी। इसके लिए प्रत्येक तहसील/विकास खण्ड स्तर पर एक टीम गठित की जाए, जो कि प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति से सम्पर्क स्थापित करके उनकी सहायता कर सके। सम्बन्धित विभाग के भी इच्छुक व्यक्तियों को समय–समय पर सलाह देनी होगी।

7. वर्ष 2020–21 में योजना का बजट एवं लक्ष्य बढ़ाने की आवश्यकता है।

उद्यानः–

उद्यान क्षेत्र में कई केन्द्रपोषित एवं राज्य पोषित योजनाऐं उपलब्ध हैं जिनका लाभ प्रदेश में लौटे प्रवासियों को मिल सकता है। इनमें फल–पौधशाला स्थापना, फल, सब्जी, पुष्प आदि क्षेत्रफल का विस्तार, औद्योगिक यन्त्रीकरण, तुड़ाई उपरांत प्रबन्धन, रिटेल आउटलेट, ड्रिप/स्प्रिंकलर स्थापना, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एण्टरप्राइजेज, मौन पालन, उद्यानों की घेरबाड़, पैकेजिंग मैटेरियल वितरण तथा निप एप्पल आदि। सभी योजनाओ में न्यूनतम 50 प्रतिशत अनुदान एवं अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध है। इस क्षेत्र हेतु निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैः–

1. इन योजनाओं की जानकारी सभी प्रवासियों को उपलब्ध कराये जाने हेतु SMS/Whatsapp मैसेज भेजे जाने चाहिए।

2. प्रत्येक तहसील/विकास खण्ड स्तर पर सप्ताहिक बैठक कराकर इस क्षेत्र में रूचि दिखाने वाले प्रवासियों की मदद की जाए।

3. राज्य के पर्वतीय जनपदों में जोतों का क्षेत्रफल कम होने के कारण कोऑपरेटिव उद्यान लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

4. सभी जनपदों में निजी क्षेत्र में नर्सरियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों में पौधे/रोपण के लिए सामग्री इन नर्सरियों से लिया जाना चाहिएं

5. फल, सब्जी, पुष्प, मशरूम आदि के विपणन में भी ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि फल उद्यानियों का उचित मूल्य मिल सके।

पशुपालन एवं दुग्ध विकासः–

1. पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन एक तीव्रगति से विकसित हो रहा आर्थिक क्षेत्र है तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन का योगदान रू0 5816.00 करोड़ अनुमानित है (वर्ष 2018–19)। पशुधन का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में अंशदान 2.37 प्रतिशत (वर्ष 2018–19 में) है। इस क्षेत्र का योगदान राज्य में वापस लौटकर आये प्रवासियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न योजनाऐं/गतिविधियाँ जिनके द्वारा दुग्ध उत्पादन, बकरी पालन, पोल्ट्री से स्वरोजगार किया जा सकता है।

2. पर्वतीय जनपदों में जनपद चम्पावत में दुग्ध अधिशेष उत्पादन (Surplus Production) है तथा मूल्य संवर्द्धन (Value addition) के लिए मैदानी जनपदों में भेजा जा रहा है। घी, पनीर इत्यादि उत्पादन की इकाईयाँ राज्य में वापस लौटे प्रवासियों द्वारा अपने जनपद में लगाई जा सकती हैं।

3. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मुर्गी पालन का कार्य विभिन्न व्यक्तियों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। उदाहणतः पिथौरागढ़ जनपद के भटेरी ग्राम में (विकास खण्ड मूनाकोट) काफी संख्या में मुर्गीपालन इकाईयाँ है। ऐसे सफल उदाहरण भी राज्य में वापस लौटे प्रवासियों द्वारा अन्य स्थानों पर भी किया जा सकता है।

कृषिः–

राज्य में संचालित विभिन्न कृषि विकास योजनाऐं प्रदेश में वापस लौटे प्रवासियों के पुनर्वास हेतु सहायक होंगी। इनमें विभिन्न योजनाऐं हैं पी.एम. किसान योजना, स्टेट मिलेट मिशन योजना, जैविक कृषि योजना, राज्य कृषि विकास योजना एवं समेकित सहकारी विकास परियोजना।

निम्नलिखित बिन्दुओं पर Focus करना आवश्यक है :–

1. पर्वतीय जनपदों में कृषि उत्पादन के लिए विशेष क्षेत्र या विकासखण्ड़ स्तर पर किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producers' Organisations) का गठन किया जा सकता है जिनका दायित्व होगा कि वो कृषकों को सहकारी रूप से खेती करवाये, खेती में मशीनों का उपयोग करवाये, जिससे मानवशक्ति का उपयोग कम किया जा सके। खेती में उपज बढ़ाने के लिए उन्नत बीज और जानकारियां उपलब्ध करायें, जिससे कृषकों की आजीविका में वृद्धि सम्भव है।

2. पर्वतीय जनपदों में कृषि बीजों की आपूर्ति भी चिन्ता का एक अहम विषय है, क्योंकि इनकी आपूर्ति जनपद के बाहर से ही नहीं बल्कि राज्य के बाहर से भी कराई जा रही है। इन बीजों को यहां की जलवायु में, न तो पैदा किया जा सकता है न ही ज्यादा पैदावार उत्पन्न की जा सकती है। इसलिए हमें इस ओर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए कि राज्य में उगाई जाने वाली फसलों के बीजों का उत्पादन जनपदों में स्थानीय स्तर पर ही करवाया जाय। इसके लिए जनपद स्तर पर कृषकों को प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित कर विभिन्न स्थानीय फसलों के बीजों को उत्पादित कर संरक्षित करवाने की ओर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

3. पर्वतीय जनपदों में कृषि प्रसंस्करण की सुविधाओं में कमी देखी गयी है जबकि दालों के प्रसंस्करण के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। दाल और कृषि उत्पादकों के लिए प्रसंस्करण इकाईयाँ बढ़ाने की आवश्कता है। राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में कृषि फसलों के उत्पादन हेतु कृषि विभाग द्वारा सघन सर्वेक्षण करवाये जाने की आवश्यकता है, इसकी वजह से उत्पादकता के सटीक आकड़ें सामने आयेगें जिससे खरीदारों को उत्पादन की मात्रा की प्रमाणिक जानकारी प्राप्त हो पायेगी। सरकार द्वारा जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग भी आवश्यक है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी।

ग्राम्य विकासः–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

मनरेगा योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैंः–

a- मनरेगा के तहत 50% से अधिक लाभार्थी महिलाएँ हैं, ध्यान केंद्रण उन कार्यों पर होना चाहिए जो महिलाओं के लिए अतिरिक्त आय सृजित कर सके। समान अवसर और भागीदारी सुनिश्चित करके सभी जनपदों के लिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% से अधिक बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। महिलाओं के कौशल विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि वे कुशल श्रमिकों के रूप में लाभ उठा सके न कि अकुशल श्रमिकों के रूप में।

b- फसलों को बंदर और जंगली सूअर जैसे जानवरों द्वारा नुकसान होने की समस्या है। कुछ ब्लॉक में जंगली सूअरों से सुरक्षा के लिए दीवारें बनाई जा रही हैं, सभी जनपदों में ऐसा किया जाना आवश्यक है। बंदरों से फसलों की सुरक्षा के लिए संपत्तियां बनाने के लिए एक योजना वन विभाग की सहायता से तैयार की जानी चाहिए।

c- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए पानी की कमी एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। इस समस्या से निपटने के लिए इस योजना के तहत कार्यों का संयोजन किया जा सकता है। राज्य में बहुविध योजनाऐं स्वयं सहायता समूहों के साथ काम कर रही हैं, जिनमें मनरेगा के तहत सामुदायिक सम्पत्तियों के अनतर्गत सामान्य कार्य क्षेत्र/शेड का निर्माण किया जाना चाहिए। इससे स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों के सरल संचालन में मदद मिलेगी।

d- इस कार्यक्रम में 100 दिन से बढ़ा कर 150 दिनों का रोजगार दिया जाना चाहिए।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिषन (एन.आर.एल.एम.)

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैंः–

a- उत्तराखंड में औषधीय और सुगंधी पौधों की अच्छी क्षमता है लेकिन वर्तमान में वह राज्य में एक लाभकारी गतिविधि के रूप में नहीं उभर रहा है। राज्य में इसकी वास्तविक क्षमता का लाभ उठाने के और इसे महत्वपूर्ण आजीविका उत्पादन गतिविधि में से एक में बदलने के प्रयास किए जाने चाहिए।

b- मशरूम उत्पादन राज्य के लगभग हर जिले में लाभदायक साबित हुआ है। आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाना चाहिए और राज्य में मशरूम उत्पादन के विस्तार के लिए नए बाजार संपर्क का गठन किया जाना चाहिए।

c- गठित स्वयं सहायता समूहों का उचित अनुश्रवण और समीक्षा अनिवार्य है। समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए और आवश्यकता आधारित एवं क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण की समझ विकसित की जानी चाहिए। अनुश्रवण न केवल स्वयं सहायता समूहों के सुचारू संचालन में मदद करेगा बल्कि उन मामलों में भी मदद करेगा जहाँ पता लगाया जाना जरूरी है कि स्वयं सहायता समूह क्यों निष्क्रिय बन रहे हैं। इससे स्वयं सहायता समूहों की स्थिरता स्थापित करने में भी मदद मिलेगी।

d- अधिक संमिलन आवश्यक है। मनरेगा, समेकित बाल विकास योजना, मध्याहन भोजन योजना, कृषि और सहायक विभागों की योजनाएँ, वन विभाग लक्षित समूह के आजीविका अवसरों में वृद्धि करने के दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ध्येयों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

e- स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए गुणवत्ता निगरानी और प्रमाणन किया जाना चाहिए। इससे मानकीकरण होगा और सार्वभौमिक बाजार खुलेगा। विपणन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्पादों के विपणन और खुदरा के लिए गतिशील ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म विकसित किए जाने चाहिए। एक सोशल मीडिया रणनीति विकसित की जानी चाहिए। सैनिटरी पैड बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह विकसित किए जा सकते हैं। प्रत्येक जनपद में एक इकाई की स्थापना की जा सकती है क्योंकि यह मासिक धर्म स्वच्छता की ज्वलंत समस्या और आजीविका अवसर दोनों है। वर्तमान में, रुद्रपुर में एक इकाई चलाई जाती है जिसमें 30 महिला कर्मचारी हैं। इससे बाजार में अन्यथा उपलब्ध वाणिज्यिक विकल्प की तुलना में पहुँच में वृद्धि होगी एवं मूल्यों में कमी आएगी।

कौशल विकासः–

राज्य में लौटे प्रवासियों का कौशल विकास एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इनकी Skill Mapping करके प्रत्येक व्यक्ति को उसके कौशल, अनुभव एवं रूचि के अनुसार कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। इसमें ग्राम्य विकास एवं कौशल विकास विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है।

कौशल विकास के अन्तर्गत निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैंः–

a) ऐसे कौशल की पहचान करने की आवश्यकता है जो पलायन को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट / आवश्यकता आधारित हैं।

b) पर्वतीय क्षेत्रों में पी.आई.ए. की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। पर्वतीय जनपदों में अधिक पी. आई.ए. की स्थापना की जानी चाहिए। वर्तमान में एक प्रशिक्षण केंद्र भीमताल में है और एक पौड़ी गढ़वाल में स्थित है बाकी सभी मैदानी इलाकों में हैं, जो पहाड़ी–मैदानी विषमता को बढ़ा रहे हैं।

c) हालाँकि इस योजना को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है, किन्तु इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी के अभाव में इंटरनेट आधारित उपस्थिति जैसे कुछ पहलुओं के लिए पर्वतीय जनपदों में छूट दी जा सकती है। प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रो के साथ अभिसरण की सम्भावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए क्योंकि इसके लिए पूरी तरह से नया बुनियादी ढांचा बनाने की आवश्यकता नहीं होगी और पहले से मौजूद बुनियादी ढांचे का उपयोग किया जा सकता है।

d) राज्य में स्वरोजगार सृजित करने, के लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान पर ध्यान देने तथा उन्हें जीवंत बनाने की आवश्यकता है। कितने प्रशिक्षित उम्मीदवारों ने व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण लिया और ऋण चुकाने में सक्षम हैं, इसका उचित अनुश्रवण भी करना चाहिए।

e) रोजगार पंजीकरण सम्बन्धी डेटा से पता चलता है कि पर्यटन और आतिथ्य उद्योग के लिए भर्ती करने वालों की संख्या राज्य के बाहर से अधिकतम है, भले ही हमारा राज्य खुद एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। राज्य में स्थित होटल और रिसॉर्ट्स के साथ संपर्क स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उन लोगों को काम पर रखा जा सके जिन्हें इस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया गया है। यह बेहतर प्रतिधारण सुनिश्चित करने में मदद करेगा क्योंकि वेतन सीमा प्रति महीना 7000-9000 रुपये के बीच है जो एक महानगर में आजीविका के लिए पर्याप्त नहीं है और उन्हें शोषण से भी बचाएगा।